

तारीख
सुन

सुन या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

सुन
जज
सुन
म

को नोट उस करने से एकदम को इसी
कारण पर नोट उस करने के आदेश दिने
पाने है। पत्रावली फेलर सुफर होकर
गम्बर से कम को जानर डारिबलाइफन
की पाने। निर्णय आण दिनां 1.3.2
को सुने एजलास सुनाया गप।

सहायक कमिश्नर (S.D.O.) जज

अधीन (O.D.) जज

अधीन (O.D.) जज